FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BHAGWATI RICE MILLS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	21.11.1995
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies Kanpur
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15312UP1995PTC019042
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Sirsaganj Roadmainpuri Mainpuri, Uttar Pradesh, India, 205001.
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03.12.2025 Copy of NCLT Order Received on 06.12.2025
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	04.06.2026
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Babita Jain IP Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Registered Address: 35B/6, Madhokunj, Rammohan Plaza, Allahabad 211002 **Email:** jainbabita06@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Address:** 35B/6,Madhokunj, Rammohan Plaza, Allahabad 211002 **Email:** cirp.bhagwatiricemills@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	20.12.2025
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NOT APPLICABLE
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class – Real estate allottees	NOT APPLICABLE
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at**:**	(a)Web Link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Allahabad has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED on 03.12.2025**.** Copy of NCLT Order Received on 06.12.2025

The creditors of BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 20.12.2025 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Babitajain

BABITA JAIN
Interim Resolution Professional
BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED
Reg no: IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
AFA Valid up to 31.12.2026

Date: 06.12.2025
Place: Allahabad

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Asset Recovery Management Branch, Jaipur
1st Floor, 2- Nehru Place, Lalkothi, Jaipur-302015
Email: cs8244@pnb.co.in

APPENDIX IV [See Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **Punjab National Bank** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a **demand notice dated 15/02/2020** calling upon the *Borrowers/Guarantors/Mortgagors:-* **M/s. Fairwealth Securities Limited (Borrower Company),Sh.Dhirendra Gaba (Director/ Guarantor), Sh. Naveen Gaba (Director/ Guarantor), Sh. Roop Lal Agarwal (Director/ Guarantor/Mortgagor),Smt. Sudha Agarwal (Guarantor/Mortgagor), Smt. Versha Gaba(Guarantor/Mortgagor)**, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 3,74,81,532.50 (Three Crore Seventy Four Lakh Eighty One Thousands Five Hundred Thirty Two Rupees And Fifty Paisa Only) as on 29/01/2020** with future interest & charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The Borrower/ Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the (Security Interest Enforcement) Rules on this the **04th day of December of the year 2025.**

The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount **Rs. 6,87,03,186.72 (Six Crore Eighty Seven Lakh Three Thousands One Hundred Eighty Six Rupees And Seventy Two Paisa Only) as on 30/11/2025** with future interest & charges until payment in full.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Residential Apartment bearing No-B-002, *admeasuring Super Area approx 308.54 Sq. Mtr. (3319.91 Sq. Ft.)* which includes built up *area approx 284.78 Sq. Mtr. (3064.23 Sq. Ft.)* and having open to sky court/terrace area admeasuring *approx 102.25 Sq. Mtr. (1100.19 Sq. Ft.)* situated on lower & upper **ground floor in Tower-B, Raheja Atlantis, Sector-31-32A, Gurgaon now known as Gurugram, Haryana** in the ownership of ***Mr. Roop Lal Agarwal & Smt. Sudha Agarwal.***

Date: 04-12-2025 **Place: GURUGRAM**

Authorized Officer
Punjab National Bank

PNB GILTS LIMITED
(SUBSIDIARY OF PUNJAB NATIONAL BANK)

PNB GILTS LIMITED

CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Office: 5, Sansad Marg, New Delhi – 110001
Tel. 011-23325759, 23325779
Email: pnbgilts@pnbgilts.com; Website: www.pnbgilts.com

NOTICE

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Investors of the Company are hereby informed that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a special window has been opened for a period of six months from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate transfer requests of physical shares.

This facility is available for Transfer Deeds that were originally lodged before 1st April 2019 but were rejected/ returned/ not attended due to a deficiency in the documents/process, or otherwise.

The shares re-lodged for transfer during the above window will be processed only in dematerialized form. Eligible Investors who have missed the 31st March, 2021 deadline for re-lodgement of transfer documents are encouraged to avail advantage of the opportunity by furnishing the requisite documents to the Company's Share Transfer Agent (STA) - MCS Share Transfer Agent Ltd., 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020; Phone Nos. 011-41406149/41406150/41406151 and Email: admin@mcsregistrars.com.

Transfer requests submitted after 6th January, 2026, will not be accepted by the Company/STA. The aforesaid information is also being made available on the website of the Company at https://www.pnbgilts.com.

For PNB Gilts Limited
Sd/-
(Monika Kochar)
Company Secretary

Date : December 07, 2025
Place: New Delhi

For the Kind Attention of Shareholders: Shareholders holding shares in Physical form are requested to dematerialize their shares/complete their KYC (Email address, Bank A/c details, etc.) with the Company's STA.

INTEGRAL COACH FACTORY, CHENNAI-38

The following e-tender is published in IREPS website. Firms are requested to login to **www.ireps.gov.in** and quote against the tenders. Manual Quotations will not be entertained for the tender.

Tender No.	Open Tender File Reference No.	Name of the Work	Quantity	Date & Time of Tender Closing & Opening
202547 1212030 - OT12-MASK	MS / C / OT / 12 / MASKING / SHELL / 2025-27	Masking of different variants of shells in shell division for leak testing as per is Spec. 11865 / 2006	3059 Shells	24.12.2025 at 15:00 Hrs.

Hindi version of the above advertisement is available in **https://icf.indianrailways.gov.in/**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JKEW FORGINGS LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**JKEW Forgings Limited (now known as JKEW Metalec Limited)**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	17-09-1983
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Kanpur
4.	Corporate Identity No. (CIN)	U29141UP1983PLC006255
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Aggarwal Building, The Mall, Kanpur, UP 208002
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	01-12-2025 (Order received on 05.12.2025)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	03-06-2026 (Counted from 05.12.2025)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Deepak Singh Reg No: IBBI/IPA-003/ICAI-N00447/2023-2024/14350
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: C-1302 AVJ Heights, Sector ZETA-1 Greater Noida, Near Sakipur, Village, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201306 Email Id: deepaksingh1965@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: C-1302 AVJ Heights, Sector ZETA-1 Greater Noida, Near Sakipur, Village, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201306 Email Id: jkewforgings.cirp@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	19-12-2025
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NA
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NA
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	a. Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: same as above in point no. 10 b. NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Allahabad Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s JKEW Forgings Limited (now known as JKEW Metalec Limited) on 01.12.2025 (Copy of the order was received on 05.12.2025).

The creditors of M/s JKEW Forgings Limited (now known as JKEW Metalec Limited) are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 19-12-2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class [NA] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Deepak Singh
Interim Resolution Professional In the matter of JKEW Forgings Limited
Regn. No.: IBBI/IPA-003/ICAI-N00447/2023-2024/14350
Reg Address: C-1302 AVJ Heights, Sector ZETA-1 Greater Noida, Near Sakipur, Village, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201306
Email Id: deepaksingh1965@gmail.com, jkewforgings.cirp@gmail.com

Date: 08.12.2025
Place: Kanpur

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Expression of Interest (EOI) for Registration of Central Recordkeeping Agency

PFRDA invites Expressions of Interest from eligible entities for registration as a Central Recordkeeping Agency (CRA), the entity responsible for providing centralized recordkeeping, administration and customer services for all subscribers under National Pension System.

The interested entities may refer PFRDA website **www.pfrda.org.in** for further details. Last date for submission of EOI is 07.01.2026.

General Manager
Regulation Process Management - CRA

E-AUCTION SALE NOTICE UNDER IBC,2016

M/S. Supreme Coated Board Mills Private Limited (in Liquidation)
Regd office: 30, Ground Floor, RCC Building, New Star City, Payasambakkam, Chennai 600052

Bids are invited through e-auction platform https://ibbi.baanknet.com for sale of following assets of M/s Supreme Coated Board Mills Private Limited forming part of Liquidation Estate by the Liquidator u/s. 35 (f) of IBC, 2016 r/w reg. 32 and Schedule I of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016

DETAILS OF ASSETS TO BE SOLD UNDER REGULATIONS 32 (a)	Reserve Price (Rs.)	EMD (Rs.)	Incremental Bid Amount (Rs.)
Land, Building, Plant & Machinery: Land admeasuring 55.14 acres(*) and building structure with two Units of Plant & Machinery installed for the commercial production of duplex paper board with 180-400 gsm having overall capacity up to 450 TPD. The facility is located in Vembakottai Village, Sivakasi, Virudhu Nagar District, Tamil Nadu – 626131 *Note: Portion of the land admeasuring 9.13 acres owned by promoters also forming part of theabove mentioned land that will be sold along with the CD's assets.	77,90,40,000/-	7,79,04,000/-	25,00,000/-

Last Date of Remittance of EMD 19.12.2025
E-Auction Date and Time 22.12.2025 (From 11:00 AM to 1:00 PM)

1. Interested applicants may refer to e-Auction Process Information Document for detailed terms and conditions of online E-Auction, BID form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, Earnest Money Deposit (EMD) requirement etc. is available at **https://ibbi.baanknet.com.**
2. Prospective bidders shall submit the requisite documents, including an undertaking of eligibility under Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code through the BAANKNET auction platform **https://ibbi.baanknet.com**
3. Prospective bidders shall deposit the EMD through the BAANKNET auction platform **:https://ibbi.baanknet.com** on or before **19.12.2025**
4. The undertaking referred in clause 2 herein above should state that the prospective bidder does not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable.
5. Prospective bidders may note that if found ineligible at any stage, the EMD shall be forfeited as per IBBI, vide Circular No. IBBI/LIQ/84/2025 dated 28th March, 2025.
6. Kindly note that EMD payment must be made through the BAANKNET portal by adding funds to the e-Wallet and clicking "Participate" for the respective auction. Name of Eligible Bidders will be identified and conveyed by Liquidator to participate in online e-auction on the portal **www.baanknet.com.** Interested bidders should create their User ID & Password in the auction portal and deposit their EMD amount in the e-Wallet of the portal. For any query regarding the e-auction portal, reach out to BAANKNET (Bank Asset Auction Network), **Email ID support.baanknet@psballiance.com , Mobile No: +91 8291220220.**
7. The maximum time allowed to the Successful Bidder for making payment of balance Sale Consideration (i.e., accepted Bid Amount plus other applicable taxes/duties after set-off/adjustment of EMD received) along with interest due is 90 days from the date of LOI.
8. Interested applicants depositing the EMD and requiring assistance in submitting Bid Forms may contact Liquidator at **liq.scbmpl@gmail.com** or on **(+91) 9350583002**
9. It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. Liquidator has right to extend/defer /cancel and/or modify, delete any of the terms and conditions including timelines of E-Auction at his discretion in the interest of Liquidation Process and has right to reject any bid without any prior notice or assigning any reason whatsoever at any stage of the auction.
10. E-Auction shall be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" "WHATEVER THERE IS" and "NO RECOURSE" basis only.

Date: 08/12/2025
Place : Chennai

Ms. Rajalakshmi Vardarajan
Liquidator–Supreme Coated Board Mills Private Limited (in Liquidation)
IBBI Reg.No.: IBBI/IPA-003/IP-N00145/2017-2018/11597
Add:3/6, Venkateswara Colony 10th Street, Madhavaram Milk Colony, Chennai, 600051, Tamil Nadu

---

INTEGRAL COACH FACTORY, CHENNAI-38
INDIAN RAILWAYS

Tender Notice No. ICF/EL/Cons/2025-26, Dated: 08.12.2025

For and on behalf of The President of India, The Dy. Chief Electrical Engineer / Maintenance / Shell, Integral Coach Factory, invites E-Tender for the following works.

Tender No.	Name of the Work	Approx. Value in Lakhs (Rs.)	EMD (Rs.)	Tender Closing Date and Time
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
202524521 2046	EL-W-916 Electrical Works for- A) Extension of Traverser Pit at Eastern side of Shop-30 / Fur & B) Provision of crane girders in I and II bay of New shed southern side of shop 33 and 39.	43.32	86,700/-	07.01.2026 at 15.30 hrs.

Web site for submission of offer: **www.ireps.gov.in**

Hindi Version of the above tender notification is available in **https://icf.indianrailways.gov.in**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BHAGWATI RICE MILLS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	21.11.1995
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies Kanpur
4.	Corporate Identity No Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15312UP1995PTC019042
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Sirsaganj Road Mainpuri, Uttar Pradesh, India, 205001.
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03.12.2025 Copy of NCLT Order Received on 06.12.2025
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	04.06.2026
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Babita Jain IP Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Registered Address: 35B/6, Madhokunj, Rammohan Plaza, Allahabad 211002 **Email:** jainbabita06@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Address:** 35B/6,Madhokunj, Rammohan Plaza, Allahabad 211002 **Email:** cirp.bhagwatiricemills@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	20.12.2025
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NOT APPLICABLE
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class- Real estate allottees	NOT APPLICABLE
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a)Web Link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Allahabad has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED on 03.12.2025. Copy of NCLT Order Received on 06.12.2025

The creditors of BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 20.12.2025 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
BABITA JAIN
Interim Resolution Professional
BHAGWATI RICE MILL PRIVATE LIMITED
Reg no: IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
AFA Valid up to 31.12.2026

Date: 06.12.2025
Place: Allahabad

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Central Government,
Regional Director, Northern Region
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of **SEQUENTIAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LIMITED** having its registered office at 31 Todar Mal Lane, Bangali Market, Central Delhi, New Delhi-110001, Delhi, India. **.... Petitioner**

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Tuesday, November 25, 2025 to enable the company to change its Registered Office from **"National Capital Territory of Delhi"** to **"State of West Bengal"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

"31 Todar Mal Lane, Bangali Market, Central Delhi, New Delhi-110001, Delhi, India"

For and on behalf of
Sequential Technology International (India) Private Limited
Sd/- Amit Soni
Director
DIN: 10993503

Date: 08.12.2025
Place Delhi

एन एफ एल NFL
A Navratna Company

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)
CIN: L74899DL1974GOI007417
Registered Office: Scope Complex, Core -III, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 110003.
Website: www.nationalfertilizers.com,
Email ID: investor@nfl.co.in; Telephone: 011-24360066, 24361252

NOTICE TO SHAREHOLDERS

A. FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time.

The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Demat account of IEPF Authority.

In this regard, the Interim Dividend declared for the financial year 2018-19, which remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years will be credited to the IEPF on or after March 08, 2026 but not later than April 07, 2026. The corresponding shares on which dividends were unclaimed or unpaid for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the rules, Individual notices have also been sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid rules, the full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID is also made available on the Company's Website at **www.nationalfertilizers.com**.

In this connection, please note the following:

1) **In case you hold shares in physical form:** Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you will stand automatically cancelled.

2) **In case you hold shares in electronic form:** Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received on or before February 28, 2026, the Company will proceed to transfer the liable dividend and Equity shares in favour of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to the Company Secretary of the Company.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. MAS Services Limited at **investor@masserv.com**.

B. SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

This is to inform all concerned shareholders that, pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, a special window for the re-lodgement of transfer deeds relating to physical securities has been opened for a period of six months, from July 07, 2025 to January 06, 2026.

This initiative is applicable to transfer requests that were originally submitted prior to April 01, 2019, but were either rejected, returned, or not processed due to deficiencies in documentation or other procedural issues.

This facility also extends to shareholders who were eligible but missed the earlier deadline of March 31, 2021, for re-lodgement under the previous SEBI framework. Such shareholders may now re-submit their transfer requests during this newly announced window.

Please note that all re-lodged transfer requests will be processed strictly in dematerialized form. Concerned shareholders are advised to take note of this opportunity and re-lodge their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited, at T-34, II Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi – 110020. Tel.: 011-26387281-83; Email Id: investor@masserv.com

For National Fertilizers Limited,
Sd/-
(Ashok Jha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 08.12.2025

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

FORGOTTEN MONEY IN YOUR OLD BANK ACCOUNTS?

RBI will help you recover what's yours

Money in Inoperative Accounts (inactive for more than 2 years and up to 10 years) lying with your bank / Unclaimed Deposits (Beyond 10 years) is transferred to DEA Fund of RBI.
You or your legal heirs can claim it anytime.

3 EASY STEPS TO CLAIM YOUR MONEY

1. Visit any branch of your bank, even if it's not your regular branch
2. Submit a form with KYC documents (Aadhaar, Passport, Voter ID, or Driving Licence)
3. Receive your money with interest, if any, after verification

To find your unclaimed deposits

Search your bank's website or check RBI's UDGAM portal **(https://udgam.rbi.org.in)** covering 30 banks currently

Visit Special Camps on Unclaimed Assets being conducted in all districts across the country during October to December 2025

Scan the QR code

For more details, visit **https://rbikehtahai.rbi.org.in**
For feedback, write to **rbikehtahai@rbi.org.in**
Official WhatsApp No. 99990 41935

Issued in public interest by
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय :– सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड का जंक्शन, बीकेसी अनेक्सी, निकट इक्विनोक्स, कलीना, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई–400070

परिशिष्ट 4 नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (सरफासी अधिनियम, 2002) की धारा 3 के तहत एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में विधिवत पंजीकृत है। यह कि समनुदेशक (कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड) ने समनुदेशक और ओएआरपीएल के बीच 30 सितंबर 2024 को हुए समनुदेशन अनुबंध के माध्यम से उक्त वित्तीय सहायता, प्रतिभूत आस्तियां गारंटी और किसी भी अन्य अंतर्निहित प्रतिभूति हित के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित और उक्त अनार्जक आस्तियों (जिन्हें आगे वित्तीय संपत्तियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के संबंध में अपने सभी अन्य अधिकार, स्वत्वाधिकार और हितों को ओमकारा पीएस16/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्य करते हुए ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में समनुदेशित कर दिया है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की है।

कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ओमकारा पीएस16/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने वाले ओएआरपीएल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का ध्यान प्रतिभूत आस्ति छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	कब्जा सूचना की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या **LNMEMTH000017115** (पुरानी) **80500005886476 (नयी) मथुरा शाखा)** **श्री प्रमोद पी** (कर्जदार) **श्रीमती आशा ए, श्री सोनू पी** (सह–कर्जदार)	**01–08–2025 रु. 15,80,841/–**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति, जो गली राधारानी बनियापाड़ा, कस्बा छाता, तहसील छाता और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281401 में स्थित है। क्षेत्रफल परिमाप 46.82 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व– सुनील का प्लॉट, पश्चिम– अनिल का मकान, उत्तर– रास्ता, दक्षिण– पदम का मकान	**02–12–2025**

स्थान : मथुरा **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
तिथि : 08–12–2025 **(ओंकारा पीएस16/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)**

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं(ओं) को मांग नोटिस जारी किए है, जिनमें उधारकर्ताओं से उनके नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भविष्य में लागू ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रु. में)	तिथि/समय और कब्जे का प्रकार
1	**30730430000945**	1) श्री सन्नी कुमार (उधारकर्ता), 2) श्रीमती धर्मवती (सह–उधारकर्ता)	18.08.2025, रु. **5,22,233.82** (रु. पाँच लाख बाईस हजार दो सौ तैतीस और पैसे ब्यासी मात्र) दिनांक 14.08.2025 तक	तिथि: 05.12.2025 समय: अपरा. 12.45 बजे सांकेतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा (घरोनी) पर मकान नं. 148 क्षेत्रफल 164.18 वर्ग मीटर गांव खारी बनास, तहसील नाकुर परगना सरसावा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247342। स्वामित्व सन्नी कुमार, पुत्र के जगरोशन पास है। सीमाबद्ध: उत्तर: मनोज का प्लॉट, दक्षिण: हाउस सुरेन्द्र, पूर्व: 13 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: मनोज का मकान		
2	**30739630000108 & 30739630000173**	1) श्री अंकित पांचाल (उधारकर्ता), 2) श्रीमती राखी (सह–उधारकर्ता)	**21.08.2025,** रु. **8,16,924.30** (रु. आठ लाख सोलह हजार नौ सौ चौबीस और पैसे तीस मात्र) दिनांक 19.08.2025 तक	तिथि: 05.12.2025 समय: अपरा. 02.20 बजे सांकेतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नंबर 41 पर मकान क्षेत्रफल 50 वर्ग गज अर्थात 41.80 वर्ग मीटर खसरा नं.67मिन का हिस्सा, गांव चकसैदजा, प्रशांत विहार कॉलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247001 श्रीमती राखी पत्नी श्री पदम कुमार पंचाल के स्वामित्व में, सीमाबद्ध: उत्तर: सड़क 20 फीट चौड़ी यानी 6.09 मीटर, दक्षिण: प्लॉट नंबर 41 का हिस्सा, विक्रेता के स्वामित्व में, पूर्व: सड़क 20 फीट चौड़ी यानी 6.09 मीटर, पश्चिम: प्लॉट नंबर 41 का हिस्सा अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में		
3	**30730430000820**	1) श्री अरविंद कुमार (उधारकर्ता), 2) श्रीमती लीची (सह–उधारकर्ता)	**18.08.2025,** रु. **5,20,157.29** (रु. पाँच लाख बीस हजार एक सौ सत्तावन और पैसे उनतीस मात्र) दिनांक 14.08.2025 तक	तिथि: 05.12.2025 समय: पूर्वा. 10.31 बजे सांकेतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नंबर 63 के ऊपर प्लॉट पर निर्मित मकान क्षेत्रफल 144.98 वर्ग मी., ग्राम सिसौना जमालपुर परगना देवबंद, तहसील रामपुर मनिहारान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247452, यह सम्पत्ति श्री अरविंद कुमार, पुत्र श्री लच्छी के स्वामित्व में है। सीमाबद्ध: उत्तर: सड़क 10 फीट यानी 3.05 मीटर चौड़ा, दक्षिण: पॉन सिंह का घर, पूर्व: राजकुमार का घर, पश्चिम: सुरेंदर का प्लॉट		
4	**30730430000218**	1) श्री पंकज कुमार (उधारकर्ता), 2) श्रीमती बेबी देवी (सह–उधारकर्ता)	**20.09.2025,** रु. **4,04,713.51** (रु. चार लाख चार हजार सात सौ तेरह और पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 17.09.2025 तक	तिथि: 05.12.2025 समय: अपरा 02.37 बजे सांकेतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ½ प्लॉट नंबर 145 पर बने आवासीय मकान का हिस्सा दो मंजिला क्षेत्रफल 53.61 वर्ग गज या 44.82 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 107.22 वर्ग गज अर्थात 89.65 वर्ग मीटर में से पूर्व में 20 फीट, पश्चिम में 20 फीट, उत्तर में 48 फीट 3 इंच, दक्षिण में 48 फीट 3 इंच खसरा नंबर 535 का हिस्सा दारा मिल्काना बैरन, दार अबादी पारस पुरम कॉलोनी तहसील और जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश– 247001, यह सम्पत्ति बेरी देवी पत्नी श्री पंकज कुमार के स्वामित्व में है। सीमाबद्ध: उत्तर: किसी अन्य व्यक्ति का मकान, दक्षिण: श्रीमती कुता का प्लॉट, पूर्व: रास्ता 15 फीट या 4.57 मीटर चौड़ा, पश्चिम: रास्ता 25 फीट या 7.62 मीटर चौड़ा		
5	**30730430001122 & 30730430000780**	1) श्री चरण सिंह (उधारकर्ता), 2) श्रीमती राखी (सह–उधारकर्ता)	**23.09.2025,** रु. **4,24,772.00** (रु. चार लाख चौबीस हजार सात सौ बहत्तर मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक	तिथि: 05.12.2025 समय: पूर्वा 11.06 बजे सांकेतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि 10.47 वर्ग मीटर के प्लॉट पर दक्षिण की ओर बनी दुकान गांव महेशपुर परगना देवबंद और तहसील रामपुर जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–277554 यह सम्पत्ति श्रीमती राखी पत्नी श्री चरण सिंह के स्वामित्व में है। सीमाबद्ध: उत्तर: सतपाल का घर, दक्षिण: रास्ता 12 फीट चौड़ा यानी 3.66 मीटर, पूर्व: अशोक कुमार की दुकान, पश्चिम: नाथी राम का मकान		
6	**30869420000774 & 30869420000610**	1) श्री अमित कुमार (उधारकर्ता), 2) श्रीमती गोरधन (सह–उधारकर्ता)	**21.09.2025,** रु. **15,59,841.74** (रु. पंद्रह लाख उनसठ हजार आठ सौ इकतालीस और पैसे चौहत्तर मात्र) दिनांक 17.09.2025 तक	तिथि: 06.12.2025 समय: पूर्वा 09.50 बजे सांकेतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पूर्व में 40 फीट, पश्चिम में 40 फीट, उत्तर में 20 फीट और दक्षिण में 20 फीट की भूमि का आवासीय भूखंड भूमि क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट अर्थात 74.35 वर्ग मीटर खसरा नंबर 75 से संबंधित गांव पिरान कलियर परगना और तहसील रुडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखंड–247667। यह सम्पत्ति श्री अमित कुमार पुत्र श्री गोरधन के स्वामित्व में है। सीमाबद्ध: उत्तर: अन्य व्यक्ति की संपत्ति, दक्षिण: 20 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व: श्री गुलबहार (विक्रेता) का प्लॉट, पश्चिम: अन्य व्यक्ति की संपत्ति		
7	**30869420000900 & 30869420000787**	1) श्री रिहान (उधारकर्ता), श्रीमती रिहाना (सह–उधारकर्ता)	**23.09.2025,** रु. **15,28,090.02** (रु. पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार नब्बे और पैसे दो मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक	तिथि: 06.12.2025 समय: पूर्वा 09.15 बजे भौतिक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल रिहायशी संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट पर अर्ध निर्मित मकान, खसरा नं.48 का मिन, क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट माप अर्थात 74.349 वर्ग मीटर मौजा, गांव रायपुर परगना और तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड–247661, यह सम्पत्ति श्री रिहान, पुत्र श्री नेहरुद्दीन के स्वामित्व में है। सीमाबद्ध: उत्तर: विक्रेता अनूप कुमार का प्लॉट, दक्षिण: विक्रेता अनूप कुमार का प्लॉट, पूर्व: रास्ता 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: अन्य का प्लॉट		

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: सहारनपुर और हरिद्वार **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,**
तिथि: 08.12.2025 **कृते जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर–560071। शाखा कार्यालय: बेसमेंट, यू.पी. टावर, बी 7–8 और जी 7–8, संजय पैलेस, आगरा, उत्तर प्रदेश–282002

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, जयपुर
प्रथम तल, 2- नेहरू प्लेस, लालकोठी, जयपुर-302015
ईमेल: cs8244@pnb.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1) देखें] कब्जे की सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता पंजाब नैशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3 के तहत् प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक **15/02/2020** को जारी किया जिसमें (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता):- मैसर्स फेयरवेल्थ सिक्योरिटीज लिमिटेड (ऋणी कंपनी), श्री धीरेंद्र गाबा (निदेशक/जमानतदार), श्री नवीन गाबा (निदेशक/जमानतदार), श्री रूपलाल अग्रवाल (निदेशक/जमानतदार/बंधककर्ता), श्रीमती सुधा अग्रवाल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्रीमती वर्षा गाबा (जमानतदार/धीरेंद्र कर्ता) को उक्त सूचना पत्र में उल्लेखित राशि रुपये **3,74,81,532.50** (रु. तीन करोड़ चौहत्तर लाख इक्यासी हजार पांच सौ बत्तीस एवं पचास पैसे मात्र) दिनांक **29/01/2020** तक चकावा + आगे का ब्याज, लागतें व शुल्क पूर्ण भुगतान होने तक बकाया राशि को सूचना पत्र की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी/बंधककर्ता को एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित प्रतिभूति हिक प्रवर्तन के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा दिनांक 04 माह दिसम्बर वर्ष 2025 को ग्राम कर लिया है। ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार रुपये **6,87,03,186.72** (रु. छह करोड़ सत्यासी लाख तीन हजार एक सौ छियासी एवं बहत्तर पैसे मात्र) दिनांक **30/11/2025** तक चकाया एवं आगे का ब्याज व शुल्क पूर्णभुगतान होने तक के लिये पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार के अध्यधीन होगा। ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्टकिया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय अपार्टमेंट नंबर- बी-002, जिसका सुपर एरिया लगभग 308.54 वर्गमी. (3319.91 वर्गफीट) है, जिसमें लगभग 284.78 वर्गमी. (3064.23 वर्गफीट) बिल्ट-अप एरिया शामिल है और जिसमें लगभग 102.25 वर्गमी. (1100.19 वर्गफीट) का ओपन टू स्काई कोर्ट/टेरेस एरिया है, जो टावर-बी, Raheja Atlantis सेक्टर-31-32एफ, गुड़गांव (जिसे अब गुरुग्राम, हरियाणा के नाम से जाना जाता है) में निचले और ऊपरी ग्राउंड [illegible] पर है, जिसका मालिकाना हक श्री रूप लाल अग्रवाल और श्रीमती सुधा अग्रवाल के पास है।

दिनांक: 04.[illegible]25 स्थान: गुरुग्राम **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

फॉर्म–ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार के ध्यानार्थ हेतु

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	21.11.1995
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार कम्पनीज़ कानपुर
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान सं.	U15312UP1995PTC019042
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सिरसागंज रोड मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, 205001.
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	03-12-2025 (एनसीएलटी आदेश की प्रति 06.12.2025 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया समापन होने की अनुमानित तारीख	04.06.2026
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	वंदीता जैन आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
9.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता और ईमेल पता जो बोर्ड के पास पंजीकृत हो	रजिस्टर्ड पता: 35वी/6, माथेकुंज, राममोहन खाजा, इलाहाबाद 211002 ईमेल: jainbabita06@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	रजिस्टर्ड पता: 35वी/6, माथेकुंज, राममोहन खाजा, इलाहाबाद 211002 ईमेल: cirp.bhagwatiricemills@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.12.2025
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई, सुनिश्चित की गई हो	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(ए) वेबसाइट: https://ibbi.gov.in/home/downloads (बी) लागू नहीं

सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद पीठ द्वारा 03/12/2025 को **भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड** (एनसीएलटी आदेश की प्रति 06.12.2025 को प्राप्त हुई) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को इसके द्वारा आवाह किया जाता है कि प्रविष्टि नं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 20.12.2025 तक या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्ट नं. 12 के सामने सूचीबद्ध एक श्रेणी संबंधित एक वित्तीय लेनदार, पार्ट सी ए: लागू नहीं में श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्ट सं. 13 के विरुद्ध सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा **पावे के छूटे या आंशिक सबूत जमा करने से जुर्माना लगाया जाएगा।**

हस्ता/–
वंदीता जैन
अंतरिम समाधान पेशेवर
भगवती राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 06/12/2025 **एफआरपी नंबर: IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926**
स्थान: इलाहाबाद **एएफआर वैध 31.12.2026 तक**

सूचना

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 38 के तहत स्थानापन्न सेवा के माध्यम से सूचना
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली बेंच, कोर्ट – IV में
मामले में: इंडियन बैंक बनाम
मेसर्स श्याम इंडोफैब प्राइवेट लिमिटेड
मामले में: जगदीश कुमार पारुलकर बनाम संदीप गुप्ता,श्याम इंडोफैब प्रा. लिमिटेड के निलंबित निदेशक और अन्य
आई.ए. सं. 2025 का 4211 में
कंपनी याचिका (आईबी) सं. 2024 का 285 में

सेवा में,
मेसर्स एसआईएफ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
212ए, चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत–110019, ईमेल: **anuragaggarwal@resolutefinance.in**

जैसाकि, आवेदक, जो वर्तमान में कॉरपोरेट देनदार के समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहा है, ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 66 के साथ पठित धारा 60(5) और धारा 25(2)(जे) के तहत कॉरपोरेट देनदार के निदेशक और केएमपी और कॉरपोरेट देनदार के कुछ देनदारों के खिलाफ एक आवेदन दायर किया है, और जैसाकि, माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच ने अधोहस्ताक्षरी को समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से आपको, यानी प्राप्तकर्ता को नोटिस तामील करने की अनुमति दी है।

अतः यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त–शीर्षक वाला मामला अब 15.12.2025 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आप या तो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपना जवाब भी प्रस्तुत करें।

ध्यान दें कि यदि आप ऊपर उल्लिखित दिन पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो याचिका की सुनवाई एकतरफा की जा सकती है।

जगदीश कुमार पारुलकर
समाधान पेशेवर
मेसर्स श्याम इंडोफैब प्राइवेट लिमिटेड
jkparulkar.ip@gmail.com
shyam.indo@trueproinsolvency.com

सूचना

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 38 के तहत स्थानापन्न सेवा के माध्यम से सूचना
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली बेंच, कोर्ट–IV में
मामले में: इंडियन बैंक बनाम
मेसर्स श्याम इंडोफैब प्राइवेट लिमिटेड
मामले में: जगदीश कुमार पारुलकर बनाम संदीप गुप्ता,श्याम इंडोफैब प्रा. लिमिटेड के निलंबित निदेशक और अन्य
आई.ए. सं. 2025 का 4211 में
कंपनी याचिका (आईबी) सं. 2024 का 285 में

सेवा में,
मेसर्स एसआईएफ पैरेगेट एलएलपी, एससीओ 326, द्वितीय तल, सेक्टर 9, पंचकूला, हरियाणा ईमेल: jitenL920@gmail.com

जैसाकि, आवेदक, जो वर्तमान में कॉरपोरेट देनदार के समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहा है, ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 66 के साथ पठित धारा 60(5) और धारा 25(2)(जे) के तहत कॉरपोरेट देनदार के निदेशक और केएमपी और कॉरपोरेट देनदार के कुछ देनदारों के खिलाफ एक आवेदन दायर किया है, और जैसाकि, माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच ने अधोहस्ताक्षरी को समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से आपको, यानी प्राप्तकर्ता को नोटिस तामील करने की अनुमति दी है।

अतः यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त–शीर्षक वाला मामला अब 15.12.2025 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आप या तो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपना जवाब भी प्रस्तुत करें।

ध्यान दें कि यदि आप ऊपर उल्लिखित दिन पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो याचिका की सुनवाई एकतरफा की जा सकती है।

जगदीश कुमार पारुलकर
समाधान पेशेवर
मेसर्स श्याम इंडोफैब प्राइवेट लिमिटेड
jkparulkar.ip@gmail.com
shyam.indo@trueproinsolvency.com

...continued from previous page.

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4 lots of 1,200 shares to be allotted amongst Sr. Nos. 2-4						4,800	1	6	5	1	8.33	4,800	10.81	-4,800.00
		279	**100.00**	**10,28,400**	**100.00**	**44,400**						**12**	**100.00**	**44,400**	**100.00**	**0**

Non-Institutional Investors above Rs. 10 lacs: The Basis of Allotment to Other than Individual Investors, who have bid at Issue Price of Rs. 118 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 48.38 times i.e., for 42,96,000 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 88,800 Equity Shares to successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	9,600	411	96.48	39,45,600	91.84	85,673.24	208	3,600	23	411	-	23	95.83	82,800	93.24	2,873.24
2	10,800	3	0.70	32,400	0.75	625.35	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	625.35
3	12,000	2	0.47	24,000	0.56	416.90	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	416.90
4	15,600	1	0.23	15,600	0.36	208.45	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	208.45
5	18,000	2	0.47	36,000	0.84	416.90	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	416.90
6	21,600	1	0.23	21,600	0.50	208.45	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	208.45
7	24,000	1	0.23	24,000	0.56	208.45	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	208.45
8	25,200	1	0.23	25,200	0.59	208.45	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	208.45
9	42,000	2	0.47	84,000	1.96	416.90	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	416.90
10	43,200	1	0.23	43,200	1.01	208.45	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	208.45
11	44,400	1	0.23	44,400	1.03	208.45	208	-	0	1	-	-	0.00	-	0.00	208.45
	3 lots of 1,200 shares to be allotted amongst Sr Nos. 2-11							3,600	1	15	-	1	4.17	3,600	4.05	-3,600.00
	2 lots of 1

संक्षिप्त समाचार

बिजली बिल राहत शिविर में 6.82 लाख की वसूली

एटा। अलीगंज विकासखंड क्षेत्र में बिजली बिल राहत योजना के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 71 बकायेदार उपभोक्ताओं से 6.82 लाख रुपए की वसूली की गई। ये शिविर जुनैदपुर, नकटई खुर्द, अलीपुर और नगला सिमरा जैसे विभिन्न गांवों में लगाए गए थे। इन कैंपों के दौरान विद्युत विभाग की टीम ने बकाया बिलों का निस्तारण किया और उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में राहत प्रदान की। इस अभियान की सफलता में जूनियर इंजीनियर (जेई) सुंदर सिंह, अतर सिंह और इंतजार खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्युत विभाग द्वारा यह अभियान उपभोक्ताओं को राहत देने और बकाया वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

जिला टैक्सेशन बार एशोसिएशन के राहुल जैन अध्यक्ष, विक्रान्त वार्ष्णेय महासचिव निर्वाचित

एटा। प्रशांत जैन एडवोकेट के नवीन कार्यालय एस.एस. एशोसिएट, सुवीरा गोयल नर्सिंग होम के निकट एटा डिस्ट्रीक्ट टैक्सशेन वार एशोसिएशन एटा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में राहुल जैन एडवोकेट को अध्यक्ष पद और विक्रान्त वार्ष्णेय एडवोकेट को महासचिव पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया।चुनाव की अध्यक्षता राजवीर सिंह एडवोकेट ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रशान्त जैन एडवोकेट द्वारा किया गया। चुनाव के सफल संचालन में मदन लाल वार्ष्णेय एडवोकेट, मुन्ना लाल शर्मा एडवोकेट एवं अन्य चुनाव अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों ने आपसी सामंजस्य और सहयोग की भावना के साथ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न किया।

धांधली के आरोप में लेखाकार के वित्तीय अधिकार सीज

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

जनपद कासगंज के विकास खण्ड सिढपुरा में मनरेगा योजनांतर्गत 17 सितंबर को मैटेरियल के भुगतान के लिए राशि जारी को गई थी। जिसमें लेखाकार सोरन सिंह और विकास खण्ड अधिकारी श्रेती गर्ग ने मनरेगा की नियमावली को दरकिनार करते हुए मनमानी करते हुए चुनिंदा फर्म को भुगतान कर दिया गया। जिसका प्रधानों ने विकास खण्ड कार्यालय परिसर में विरोध करते हुए शासन को शिकायत की गई थी। जिसमें शासन द्वारा जांच कमेटी गठित करते हुए लखनऊ मंडल से संयुक्त विकास आयुक्त प्रियंबदा यादव को नामित किया गया था। जिसकी जांच प्रियंबदा यादव द्वारा की गई और जांच में लेखाकार सोरन सिंह द्वारा मनरेगा के शासनादेश के नियम का उल्लंघन करते हुए पिक एंड सोसिस करते हुए प्रथम दायित्वों का उल्लंघन की रिपोर्ट शासन को भेजी गई।

जिसमें लेखाकार सोरन सिंह दोषी पाए जाने पर शासन स्तर से लेखाकार सोरन सिंह के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए और डोंगल राज्य स्तर से डिलीट कर दिया गया साथ जिलाधिकारी कासगंज को लेखाकार सोरन सिंह

लेखाकार सोरन सिंह।

की वर्तमान तैनाती की जगह दूसरे लेखाकार को नामित करने के निर्देश दिया गए हैं। जांच पर प्रश्न वाचक चिन्ह इसलिए लग रहा है कि जांच में मनरेगा भुगतान में लेखाकार सोरन सिंह पर मनमाने तरीके से भुगतान का आरोप लगा जिसमें दोषी पाए लेकिन भुगतान में लेखाकार और खण्ड विकास अधिकारी दोनों के डोंगल लगाए जाने पर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होती है।

जिन फर्मों को भुगतान किया गया उसमें दोनों के डोंगल लगे फिर अकेले सोरन सिंह पर कार्यवाही कैसे हुई जबकि भुगतान दोनों के डोंगल से पूर्ण हुआ अब देखना ये है कि जिला स्तर से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कितना संज्ञान लिया जाएगा और क्या कार्यवाही होगी।

शौच के लिए जा रहे वृद्ध पर आवारा पशु ने किया हमला, गंभीर घायल

एटा। पिलुआ थाना क्षेत्र के सिहोरी गांव में 70 वर्षीय वृद्ध लेखराज पर आवारा पशु ने हमला कर दिया। लेखराज शौच के लिए रोज की तरह खेतों की ओर जा रहे थे, तभी एक गोवंश ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में घायल लेखराज को देखकर पास में मौजूद ग्रामीण दौड़े और साहस दिखाते हुए गोवंश को पत्थर मारे, जिससे वह वहां से भाग गया। घायल लेखराज को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से एटा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया।ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की।

बजरंग दल के कार्यकर्ता से मारपीट कर दी धमकी, पुलिस को दी तहरीर

स्वदेश समाचार ■ अमांपुर।

राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कस्बे के ही दूसरे समुदाय के युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के युवक ने उनके बजरंग दल से जुड़ा होने पर आपत्ति जताई। जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बा के शास्त्री नगर निवासी राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता अंकित पाराशर पुत्र सत्यप्रकाश पाराशर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह रविवार की सुबह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तभी सुभाष नगर निवासी राशिद अली पुत्र जाकिर अली उसकी दुकान पर आकर छह दिसंबर शौर्य दिवस को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब उसने उनका विरोध किया तो आरोपी ने उसे लात-घूंसों व डंडों से पीटा। इससे उनके चेहरे और मुंह पर चोटे आई है। आरोपीजान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी हैं। बतादें कि आरोपी राशिद अली ने बीते वर्ष कस्बे के गांधीनगर निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दुष्यंत गुप्ता को नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर इंस्टाग्राम पर जिंदा दफनाने की धमकी राशिद अली ने दी थी। जिसका अमांपुर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

राम आशीष की 9वीं पुण्यतिथि पर अटेवा ने कराया गरीबों को भोजन

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

नगर के मालगोदाम रोड शनि मंदिर के पास राम आशीष जी 9वीं पुण्यतिथि पर अटेवा ने कासगंज रसोई के माध्यम से गरीबों व असहाय निर्धन लोगों को भोजन कराकर श्रधांजलि दी।इस दौरान योगेश यादव जिलाध्यक्ष एवं सभी पेंशनविहीन साथियों ने पेंशन बहाली तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

बतादें कि राम आशीष की पेंशन बहाली आंदोलन में लाठी चार्ज में मृत्यु हो गयी थी। तब से अटेवा कासगंज सहित पूरे प्रदेश में अटेवियन 7 दिसम्बर को स्व राम आशीष की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी के चलते रविवार को नगर के मालगोदाम रोड शनि मंदिर के पास

गरीबों को भोजन कराते अटेवा के लोग।

राम आशीष जी 9वीं पुण्यतिथि पर अटेवा ने कासगंज रसोई के माध्यम से गरीबों व असहाय निर्धन लोगों को भोजन कराकर श्रधांजलि दी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में राधा प्यारी रावत, सुमन कुरील, सरिता राजपूत, विनीता यादव, दिलीप यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा शिक्षक संघ, मलिखान सिंह पाल, उमेश चन्द्र दीक्षित, केडी त्रिपाठी जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, संजय कुमार, सुरेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष ग्रामीण पंचायती राज कर्मचारी संघ, सोमेंद्र बाबू, रामपाल शास्त्री जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा, मनोज कुमार गौतम, अनुपम वार्ष्णेय, रोशन लाल, आरव गौतम, विनीत कुमार, शैलेन्द्र सिंह मंडल अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर एवं अन्य पेंशनविहीन रहे।

गृह क्लेश में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास

कासगंज। जनपद कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र में एक 32 वर्षीय युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

बताया जाता है कि कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव डोराई निवासी 32 वर्षीय संतोष पुत्र राजेंद्र प्रसाद का अपनी पत्नी साधना से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस विवाद से नाराज होकर संतोष ने घर में फांसी लगा ली। पत्नी और परिवार के सदस्यों ने संतोष को फंदे पर लटका देख चीख-पुकार मचाई। उन्होंने तुरंत उसे फंदे से उतारा और आनन-फानन में इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

जनपद की पुलिस ने 18 वारंटी किए गिरफ्तार

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

पुलिस अधीक्षक कासगंज अंकिता शर्मा के निर्देश पर जनपद भर में वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में देर रात्रि पटियाली थाना पुलिस ने ज्ञानेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र जवरसिंह निवासी वीरसिंहपुरा थाना पटियाली, प्रकाश पुत्र मिश्री लाल निवासी नगला देवी थाना पटियाली, पप्पू पत्रु हब्बू निवासी मौहल्ला कटरा राजा साहब थाना पटियाली, राजीव कुमार पुत्र मौजीलाल निवासी गांव ताजपुर थाना पटियाली, टिंकू पुत्र कुंवरपाल निवासी मौहल्ला चोक थाना पटियाली, सर्जन सिंह पुत्र दुर्जन सिंह निवासी ग्राम घौसगंज थाना पटियाली, मुकेश पुत्र दयाराम निवासी रुस्तमपुर थाना पटियाली को गिरफ्तार किया है, वहीं कासगंज कोतवाली पुलिस ने

पुलिस की गिरफ्त में खडे पकडे गए वांरटी।

हिमांशू पुत्र सतीश जाटव निवासी मौहल्ला गड्ढा सहावर गेट थाना कासगंज, बीरपाल पुत्र सोनपाल निवासी नगला भूड सहावर गेट थाना कासगंज, धर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी पवसरा थाना कासगंज व जसवीर पुत्र मुलायम सिह निवासी मौहल्ला नाथूराम गंगेश्वर कालौनी थाना कासगंज को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना सिढपुरा पुलिस ने कुँवरपाल पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम नगला बल्देव थाना सिढपुरा, मोहर सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नगला बल्देव थाना सिढपुरा व .घनश्याम पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम हमीरपुर थाना सिढपुरा को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना सिकन्दरपुर वैश्य पुलिस ने अखलेश उर्फ अरविन्द पुत्र रामलाल निवासी ग्राम नगला कुढरी थाना सिकन्दरपुर वैश्य, वीरपाल पुत्र अनोखेलाल निवासी ग्राम नरदौली थाना सिकन्दरपुर वैश्य, महावीर पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम नगला जयकिशन थाना सिकन्दरपुर वैश्य को गिरफ्तार किया है। वहीं 'थाना ढोलना पुलिस ने छोटेलाल पुत्र श्रीपाल निवासी तैय्यबपुर सुजातगंज थाना ढोलना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकडे गये सभी गिरफ्तार वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

जन आरोग्य मेले में 307 मरीजों को मिली निःशुल्क चिकित्सा सेवा

जन आरोग्य मेला में निःशुल्क दवा लेते मरीज।

स्वदेश समाचार ■ एटा।

अलीगंज क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के पांच न्यू पीएचसी पर 307 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं।

यह मेला अलीगंज के अंतर्गत आने वाले नगला गजपत, राजा का रामपुर, अलीपुर, नयागांव और भदकी स्थित न्यू पीएचसी पर आयोजित किया गया था। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस मेले में स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई।

मेला आयोजन के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की और उन्हें स्वास्थ संबंधी जरूरी जानकारी दी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ, जो खासकर दूर-दराज इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के चलते प्रभावित रहते हैं।

साइबर क्राइम और यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूकता की दिलाई शपथ

जागरुकता की शपथ लेतीं छात्राएं।

स्वदेश समाचार ■ एटा।

आदर्श इंटर कॉलेज उमेदपुर में साइबर क्राइम और यातायात सुरक्षा पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में एसपी क्राइम योगेंद्र कुमार, सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह, सीओ सकीट कृतिका सिंह, एसओ सकीट राजकुमार सिंह और ट्रैफिक इंचार्ज अनिल कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।

विशेषज्ञों ने साइबर अपराध जैसे फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड और साइबर बुलिंग के बारे में जानकारी दी। साथ ही, यातायात नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधानाचार्य आदर्श मिश्रा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सुरक्षित वातावरण बनाने में मददगार साबित होते हैं। कार्यशाला का समापन जागरूकता शपथ के साथ हुआ।

जिला जज ने गिरौरा में लीगल ऐड क्लीनिक का किया उद्घाटन

स्वदेश समाचार ■ एटा

विकास खंड मारहरा की ग्राम पंचायत गिरौरा में लीगल ऐड क्लीनिक का जिला जज दिनेश चंद्र ने फीता काटकर शुभारंभ किया।

इस मौके पर अपर जिला जज कमालुद्दीन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज दिनेश चंद्र ने बताया कि यह विधिक सहायता केंद्र गांव के घरेलू मामलों की सुनवाई करेगा और उनका निस्तारण स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में समझौता नहीं हो पाता है, तो उन मामलों की सुनवाई जनपद न्यायालय में की जाएगी। इस पहल से गांवों में लोगों को कानूनी सहायता मिलने में

लीगल ऐड क्लीनिक का फीता काटकर उदाटन करते जिला जज व अन्य अधिकारीगण।

आसानी होगी।

लीगल ऐड क्लीनिक के शुभारंभ के मौके पर डीसी रजनीश वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी मो. राशिद, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह, अपर चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर संकल्प दीप कुशवाहा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत दीपक गुप्ता, ब्लॉक समन्वयक ब्रजमोहन, सचिव हेमंत वर्मा, ग्राम प्रधान उमेश कुमार और पंचायत सहायक अरुण कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

बुलडोजर और बाइक की टक्कर,दो युवकों की मौत

■ शादी समारोह से लौटते समय एआरटीओ ऑफिस के पास हुआ हादसा

स्वदेश समाचार ■ एटा।

कोतवाली देहात क्षेत्र में एक सड़क हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। यह घटना एआरटीओ कार्यालय के पास हुई, जहां उनकी बाइक एक बुलडोजर से टकरा गई। दोनों मृतक एक शादी समारोह से लौट रहे थे।

राहगीरों ने सड़क पर खून से लथपथ पड़े घायलों को देखकर तत्काल कोतवाली देहात थाना पुलिस कोसूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर

मेडिकल कॉलेज में रखे युवकों के शवों को देखते लोग।

पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमॉर्टम के लिए मोरचरी भेज दिया। मृतकों की पहचान सकीट थाना क्षेत्र के नगला हमीर निवासी हेत सिंह और शांतिस्वरूप के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, हेत सिंह अपने समधी के घर कुनावली में शादी समारोह में शामिल होकर शांतिस्वरूप के साथ बाइक पर वापस लौट रहे थे। उनकी बाइक जैसे ही हाईवे स्थित एआरटीओ कार्यालय के पास नायरा पेट्रोल पंप पर पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार जेसीबी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हाइवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी बाधित हुआ। पुलिस ने जेसीबी चालक की तलाश शुरू कर दी है और फरार चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस लाइन में लगाया गया होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर

पुलिस लाइन में लगे चिकित्सा शिविर में दवा लेती महिलाएं।

स्वदेश समाचार ■ एटा।

वामा सारथी के वामा वेलनेस कैंप के तहत रिजर्व पुलिस लाइंस में एक होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं।

यह शिविर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जनपद एटा द्वारा आयोजित किया गया था। शिविर का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के परिवारों को

■ पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों को मिला निःशुल्क इलाज

स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना था, ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।

इस पहल से पुलिस परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से राहत मिली, क्योंकि उन्हें घर के पास ही होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा मिली। इस दौरान सभी ने शिविर के आयोजन के लिए सराहना की और इसे भविष्य में और भी नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता जताई।

डीजे पर गोली लगने से चाचा-भतीजे की मौत

एटा। नयागांव थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम उभई असदनगर में शनिवार की रात करीब 9 बजे डीजे पर नाचते वक्त चली एक गोली से चाचा और भतीजे की मौत हो गई। गोली भतीजे सोहेल (11 वर्ष) की गर्दन चीरती हुई निकली और फिर चाचा शाहरुख (17 वर्ष) के सिर में जा धंसी। दोनों फूफा के बेटे की शादी में शामिल होने आए थे। रविवार यानि 8 दिसंबर को बारात जानी थी। इससे पहले शनिवार की देर रात घर में भात कार्यक्रम चल रहा था। दोनों बाहर डीजे पर डांस कर रहे थे। अचानक से गोली चली। दोनों डांस फ्लोर पर गिर पड़े।

डीजे पर खून ही खून फैल गया। आसपास लोगों ने तत्काल दोनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई। दूसरे को आगरा रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। 3-4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। एएसपी श्वेताभ पाण्डेय ने बताया कि डीजे पर डांस के दौरान गोली चली। गोली किसने चलाई, पता लगाया जा रहा है।

फॉर्म–ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	21.11.1995
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/ पंजीकृत है	रजिस्ट्रार कम्पनीज़ कानपुर
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान सं.	U15312UP1995PTC019042
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सिरसागंज रोड मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, 205001.
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	03-12-2025 (एनसीएलटी आदेश की प्रति 06.12.2025 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया समापन होने की अनुमानित तारीख	04.06.2026
8.	अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	बबीता जैन आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
9.	अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल का पता और ईमेल पता जो बोर्ड के पास पंजीकृत हो	रजिस्टर्ड पता: 35बी/6, माधोकुंज, राममोहन प्लाजा, इलाहाबाद 211002 ईमेल: jainbabita06@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	रजिस्टर्ड पता: 35बी/6, माधोकुंज, राममोहन प्लाजा, इलाहाबाद 211002 ईमेल: cirp.bhagwatiricemills@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.12.2025
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई, सुनिश्चित की गई हो	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(ए) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (बी) लागू नहीं

सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद पीठ द्वारा 03/12/2025 को **भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड** (एनसीएलटी आदेश की प्रति 06.12.2025 को प्राप्त हुई) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।
भगवती राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को इसके द्वारा आवाह किया जाता है कि प्रविष्टि नं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को 20.12.2025 तक या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।
वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्ट नं. 12 के सामने सूचीबद्ध एक श्रेणी संबंधित एक वित्तीय लेनदार, फार्म सी ए: लागू नहीं में श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्ट सं. 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा
दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ता/-
बबीता जैन
अंतरिम समाधान पेशेवर
भगवती राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926
एएफए वैध 31.12.2026 तक

दिनांक: 06/12/2025
स्थान: इलाहाबाद